न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/89/18	17–07–2018	02–07–2019

01. सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री हीरा लाल शर्मा निवासी ग्राम डेरा उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत डेरा तहसील रैणी जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 10–05–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1133/02

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 10–05–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1133/02 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निरस्त किया है। जिला रसद अधिकारी के द्वारा मनमाने तरीके से बिना अपीलान्ट को सुने बिना समुचित जांच किये बिना आरोप लगाए एकतरफा करते हुऐं अपीलीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं थी जिसके बावजूद भी बिना शिकायत के बिना किसी उच्चाधिकारी के निर्देश/आदेश के प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा स्वयं को फायदा पहुचाने की नियत से एवं अपीलार्थी को नुकसान पहुचाने की नियत से फर्जी जांच दल बनाकर अपीलान्ट की दुकान का दिनांक 4.1.18 को निरीक्षण किया वक्त जांच अपीलान्ट मौके पर उपस्थित था जिसके द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को उनके द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर दी गई थी। अपीलान्ट द्वारा विश्वास के चलते प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे उन पर हस्ताक्षर कर दिये थे उसके बावजूद प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व जांच रिपोर्ट में येनकेन प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्व प्रकरण बनाने की नियत से प्रस्तुत कर दिया। प्रवर्तन निरीक्षण दिनेश चौबे द्वारा गावं के कुछ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करके झूठी शिकायत प्रस्तुत कराई है। तहत अदालत की पत्रावली में यह किहीं दर्ज नही है कि जांच रिपोर्ट किसी तारीख को प्रस्तुत हुई किसी तारीख को प्रकरण दर्ज करने के आदेश हुए, समस्त कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक चौबें के कहे अनुसार की गई है, आदेशिका दिनांक 23.8.18 में पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित अप्रार्थी को नोटिस अदम तामिल में लौटकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया, आदेशिका दिनांक 25.4.18 में अप्रार्थी अनुपस्थित दिया जाकर दिनांक 10.5.18 को पेश हो और दिनांक 10.5.18 अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर गया। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट को कोई कारण बताओं नोटिस प्राप्त नहीं हुआ ना ही तामील हुई है। आलौच्य निर्णय एकतरफा में पारित कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा समस्त उपभोक्ताओं को नियमानुसार सही रेट पर सही समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। जिला रसद

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

अधिकारी की पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे अपीलान्ट के विरूद्व लगाये गये आरोप सिद्व व साबित होते हो के बावजूद आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है परन्तु जिला रसद अधिकारी , अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के पश्चात् नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें। अपने कथन की पुष्टी में 31 व्यक्तियों की लिस्ट गवाहन पेंश की गई।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। अपीलान्ट उभोक्ताओं के राशन कार्डो को पॉस मशीन में स्वयं दुरूपयोग किया गया तथा उपभोक्ताओं को नही दिया गया तथा फर्जी तरीके से प्रविष्ठ कर गेहूँ और तेल का दुरूपयोग किया गया। प्रवर्तक निरीक्षक जांच रिपोर्ट के आधार पर आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। प्राधिकार पत्र को एक वर्ष के बाद भी बहाल नहीं किया, जबकि निलम्बन आदेश 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि शिकायतकर्ता अपीलान्ट से द्वेषभावना व रंजिश रखता है, जिस रंजिश के चलते झुठी शिकायत पेश की गई। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में नियमानुसार जिला रसद अधिकारी को 90 दिन में प्रकरण बाद सुनवाई निस्तारण किया जाना आवश्यक है जो आलौच्च प्रकरण में नहीं किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच से पूर्व ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित करना प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय को उचित नही ठहराया जा सकता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर जिला रसद अधिकारी, अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे अपीलान्ट का विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथासम्भंव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर